2023/160

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री रतनपुरी मोहनपुरी गोस्वामी
निवासी शानी गांव
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 55 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
21.09.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 20.07.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौजा शानीगांव पटवार हल्का आबूपर्वत तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 134 से 145 तक की संवत 2005 से 2009 तक की जमाबन्दी खतौनी मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 20.07.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौजा शानीगांव पटवार हल्का आबूपर्वत तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 134 से 145 तक की संवत 2005 से 2009 तक की जमाबन्दी खतौनी मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/रेकर्ड/लो.सू.अ./2023/1571 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी को उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में जिला कार्यालय की भू–अभिलेख शाखा से नियमानुसार राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के तहत निर्धारित शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी उपरोक्त सूचना प्राप्त करने हेतु जिला कार्यालय की भू–अभिलेख शाखा से नियमानुसार राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के तहत निर्धारित शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करें। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner